राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना
जयपुर, दिनांक : अप्रैल 06, 2017

सं. एफ. 24(1)एफडी/टैक्स/2017–75 :– राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 24(1)एफडी/टैक्स/2017–75 दिनांक 11.02.2017 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

राज्यपाल के आदेश से,

(शंकर लाल कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)
"अधिसूचना
जयपुर, दिनांक : 11 फरवरी, 2017

राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 24) की धारा 7 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा करने के लिए युक्तियुक्त आधार विद्यमान हैं, सिनेमा हॉल या मल्टीप्लेक्स के स्वत्वधारी द्वारा हिन्दी फिल्म "हिन्द का नापाक को जवाब–एमएसजी–लॉयन हार्ट–2" के प्रदर्शन पर प्रवेश के लिए उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन संदेय मनोरंजन कर का, दिनांक 12.02.17 से इसके द्वारा, इस शर्त पर 100% परिहार करती है कि सिनेमा हाल या मल्टीप्लेक्स का स्वत्वधारी कर के रूप में कोई रकम प्रभारित या संगृहीत नहीं करेगा और विद्यमान प्रवेश की दरों में कोई बढोतरी नहीं करेगा और यदि कोई कर प्रभारित या संगृहीत किया गया है तो वह राज्य सरकार को निक्षिप्त कराया जायेगा और यदि पहले ही निक्षिप्त करा दिया गया है तो उसका प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

यह, अधिसूचना की तारीख से छह मास की कालावधि या माल और सेवा कर के लागू होने की तारीख, जो भी पहले हो, तक प्रवृत्त रहेगी।

[सं. एफ.24(1)एफडी/टैक्स/2017–75]
राज्यपाल के आदेश से,
ह०
(शंकर लाल कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव"

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को सी.डी. में साफ्ट कॉपी में संलग्न प्रेषित कर लेख है कि इस अधिसूचना का आज के असाधारण गजट में प्रकाशन करावें। यह भी लेख है कि इस आदेश की 10 प्रति इस विभाग को तथा 10 प्रति मय बिल के सीधे ही आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर को भेजें। कृपया उपलब्ध सी.डी. का मिलान संलग्न हस्ताक्षरित अधिसूचना से मिलान कर प्रकाशन करावें।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (वित्त मंत्री)
3. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस अधिसूचना को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
10. निर्देशक एवं निर्माता, मैसर्स हकीकत एन्टरटेनमेन्ट प्रा. लि., बी–1/19, द्वितीय तल, सेक्टर–16, रोहिणी, दिल्ली–110089
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव